क्रम-संख्या—80

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 899
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

(29)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 3 अप्रैल, 1999

चैत्र 13, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 862/सत्रह वि-1—1 (क) 17-1999

लखनऊ, 3 अप्रैल, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 3 अप्रैल, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

21/99

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा-संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 31-कक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31-कक में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम की उपधारा (1) या उपधारा (2) या किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 842/15-10-97-11 (7)/96, दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट संकाय में सह-आचार्य या आचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के दिनांक को इस रूप में सेवा में सेवारत हों, ऐसे पदोन्नति के दिनांक से उपधारा (1) के अधीन ऐसे पद पर पदोन्नत किया गया समझा जायगा।"

आज्ञा से,
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

No. 862 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 17-1999

Dated Lucknow, April 3, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 3, 1999.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT) ACT, 1999

(U.P. ACT No. 21 OF 1999)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act, 1999.

Amendment of section 31-AA of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. In section 31-AA of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, after sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2) or in any other provisions of this Act, every person who was promoted to the post of Associate Professor or Professor in a Faculty referred to in sub-section (1) in accordance with the order No. 842/15-10-97—11 (7)/96, dated April 11, 1997 issued by the State Government and is continuing in service as such on the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act, 1999 shall be deemed to have been promoted to such post under sub-section (1) from the date of such promotion."

By order,
G. S. PANDEY,
Vishesh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 2 सा० विधा०—(18)—1999—850 (मैक०)।